## विकास आयुक्त का कार्यालय

(सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (भारत सरकार)

निर्माण भवन, सातवी मंजिल, मौलाना आजाद रोड़, नई दिल्ली-110 108



# OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSONER (MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES)

#### MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES GOVERNMENT OF INDIA

Nirman Bhawan, 7° Floor, Maulana Azad Road, New Delhi-110 108

Ph. EPAX-23063800, 23063802, 23063803, 23063804, 23063805 & 23063806

### 64(01)/DFO/MWP/25-26/04

18th June 2025

To,
The Joint Director's,
MSME-Development & Facilitation Office
DFO Hyderabad, Bangalore (for Br. Mangalore)

Subject: Revalidation Sanction and allocation of fund for an amount of ₹ 45,44,000/-to MSME-DFOs/Br. DFOs for Minor Civil & Electric work for FY 2025-26 - reg.

I am directed to convey Administrative approval of AS & DC for ₹ 45,44,000/-(Rupees forty five lakh forty four thousand only) and revalidation of financial sanction & allocation of AS & DC for an amount of ₹ 21,00,000/- (Rupees twenty one lakh only) to following MSME-DFOs/Br. DFOs under Budget Head "Minor Civil & Electrical work, repair & maintenance and Material Supply for MSME-TCs/TSs/DFOs/Workshops (Revenue)-(Minor Civil & Electric work) (2851.00.001.05.01.27)" Grant No.68 for FY 2025-26.

	Name of Institution	Nature of work	Revalidation amount (in ₹)	Funds released as First Instalment (in ₹)
1	DFO Hyderabad	Renovation works of Ground floor conference Hall and workshops and other Miscellaneous work at MSME- DFO, Balanagar Hyderabad PE No. 25(8)/EE/HYD-III/2024/602 Dated 15.05.2024	44,44,000	20,00,000
2	DFO Bengaluru for Br. DFO Mangalore	Rewiring of office Section (First Floor including Replacement with Energy Efficient BLDC Fans and LED Fittings, Providing 5kVA UPS, Fire Extinguishers at DFO MSME, Mangaluru. PE No. 40/PE/EE(E)/Mysuru/2023-24	1,00,000	1,00,000
		Total	45,44,000	21,00,000

(1) 4 10/12

2. An amount of ₹ 21,00,000/- (Rupees twenty-one lakh only) will be released as *first Installment* out of total sanction amount of ₹ 45,44,000/- (Rupees forty-five lakh forty-four thousand only).

3. Remaining amount ₹24,44,000/- (Rupees twenty-four lakh forty-four thousand only) will be allocated as Second Installment against the sanctioned fund for the said

works as per the work progress and demand.

4. The work shall be carried out by the CPWD and the expenditure is to be made strictly as per GFR norms / Government prescribed procedure, rules and guidelines and as per the Preliminary estimate submitted by the respective DFOs.

- 5. Joint Director should furnish the progress report of the work and also statement for actual expenditure incurred in consultation with CPWD authorities to this office by 10<sup>th</sup> of the following month inter alia with the reason or variation if any and ensure utilization of fund within the current FY 2025-26.
  - 6. Non spending of the sanctioned amount will be viewed seriously.
- 7. Joint Director shall furnish work completion certificate, Physical cum financial statement along with fund utilization certificate from CPWD to this office.
- 8. Joint Director are requested to generate PFMS for their concerned CPWD and shall forward to the Principal Accounts Officer (Compilation) Ministry of Industry, Udyog Bhawan, New Delhi through concerned PAO, so as to enable the compilation office to generate Letter of Authorization to that concerned CPWD.

9. This issues with the approval of Competent Authority vide e-office file no. 4031248.

अजय बाजपेई
संयुक्त निदेशक (आईअजिए) Juni Discoor (IEDS)
संयुक्त निदेशक (आईअजिए) अजिजिए प्रेरी
सारत सरकार प्रियम स्वालय
स्वाल सरकार प्रालय स्वालय
स्वाल अजिजिए अजिजिए प्रालय स्वालय
Ministry of Micro. अजिजिए स्वालय स्वालय
विविद्याम अजिजिए स्वालय स्वालय
Office of the Discontinue (Impart of the Market) Amaid of the Market (Impart of the Market of the Mark

#### Copy for information and further necessary action to:

- 1) Additional Director General (Works), CPWD, Room No 301, Nirman Bhawan, New Delhi
- 2) Chief Controller of Accounts (CCA), Ministry of Urban Development. Room No. 111 Nirman Bhawan, New Delhi
- 3) The Principal Account Officer (Compilation) Ministry of Industry, Udyog Bhawan, New Delhi with a request to issue authorization letter to concerned Pay & Account Officer, CPWD so that the funds may also be utilized during the year 2025-26
- 4) Pay & accounts office (MSME), New Delhi, Chennai, Mumbai, Kolkata
- 5) Joint Director, B&A Division with a request to allocate the first installment as indicated above.
- 6) SENET Division with the request to upload on DC (MSME) website.
- 7) Hindi version
- 8) Sanction file

अजय बाजपेई संगुक्त निदेशक (अर्दु कीएकी अल्ला Director (IEDS) भारत केसी प्रवासिक प्राणियी सूच्म, लघु, एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय सूच्म, लघु, एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय Ministry of Michigan निदेश का वार्यालय विकास आयुक्त (सु. ल एवं म. उद्योग किता वार्यालय (Sidu प्राण्ये) स्ट्रिस्ट्री मांग्रां Signer (MSME)

# विकास आयुक्त का कार्यालय

(सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्राालय (भारत सरकार)

निर्माण भवन, सातवीं मंजिल, मौलाना आजाद रोड़, नई दिल्ली-110 108



OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSONER (MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES)

MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
GOVERNMENT OF INDIA

Nirman Bhawan, 7th Floor, Maulana Azad Road, New Delhi-110 108

Ph. EPABX-23063800, 23063802, 23063803, 23063804, 23063805 & 23063806

64(01)/डीएफओ/एमडब्ल्यूपी/24-25

18 जून, 2025

सेवा में, संयुक्त निदेशक, एमएसएमई-विकास कार्यालय डीएफओ हैदराबाद, बेंगल्र (शाखा विकास कार्यालय, मैंगलोर के लिए)

विषय:- वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एमएसएमई-विकास कार्यालय/शाखा विकास कार्यालय हेतु लघु सिविल और इलैक्ट्रीक वर्क के लिए 45,44,000/- रुपए हेतु संस्वीकृति एवं आवंटन के संबंध में।

मुझे वित्त वर्ष 2025-26 के लिए "एमएसएमई-टीसी/टीएस/डीएफओ/कार्यशालाओं (राजस्व)- (लघु सिविल और इलेक्ट्रीक वर्क) (2851.00.001.05.01.27)" अनुदान संख्या 68 हेतु बजट शीर्ष "लघु सिविल और इलेक्ट्रीक वर्क, मरम्मत और रखरखाव एवं सामग्री आपूर्ति" के तहत निम्नलिखित एमएसएमई-डीएफओ\शाखा डीएफओ/टीसी/टीएस के लिए 45,44,000/- रुपए (पैंतालीस लाख चवालीस हजार रुपए) के लिए अपर सचिव एवं विकास आयुक्त के प्रशासनिक अनुमोदन और 21,00,000/- रुपए (इक्कीस लाख रुपए) राशि के लिए अपर सचिव एवं विकास आयुक्त की वित्तीय संस्वीकृति और आवंटन के बारे में सूचित करने का निर्देश हुआ है।

पीयू सी सं.	संस्थान का नाम	कार्य की प्रकृति	पुनर्वधीकरण राशि संस्वीकृत निधि (रुपए में)	पहली किश्त के रूप जारी की जाने वार्ल (रुपए में)
1	डीएफओ हैदराबाद	एमएसएमई-डीएफओ, बालानगर हैदराबाद में ग्राउंड फ्लोर कॉन्फ्रेंस हॉल और कार्यशालाओं का नवीनीकरण कार्य और अन्य विविध कार्य पीई संख्या 25(8)/ईई/एचवाईडी- III/2024/602 दिनांक 15.05.2024	44,44,000	20,00,000

डीएफओ बेंगलुरु शाखा डीएफओ मैंगलोर के लिए	रिवायरिंग, जिसमें ऊर्जा कुशल बीएलडीसी पंखे और एलईडी फिटिंग के साथ प्रतिस्थापन 5	1,00,000	1,00,000
	कुल (समेकित)	45,44,000	21,00,000

- 2. कुल संस्वीकृति राशि 45,44,000/- रुपए (पैंतालीस लाख चवालीस हजार रुपए मात्र) में से 21,00,000/- रुपए (इक्कीस लाख रुपए मात्र) की राशि पहली किश्त के रूप में जारी की जाएगी।
- 3. कार्य की प्रगति और मांग के अनुसार उक्त कार्य के लिए संस्वीकृति निधि के सापेक्ष शेष 24,44,000 रुपए (चौबीस लाख चवालीस हजार रुपए मात्र) की राशि दूसरी किश्त के रूप में आवंटित की जाएगी।
- 4. कार्य सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाएगा और व्यय जीएफआर मानदंडों/सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार और संबंधित डीएफओ द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक अनुमान के अनुसार किया जाएगा।
- 5. संयुक्त निदेशक कार्य की प्रगति रिपोर्ट और सीपीडब्ल्यूडी प्राधिकारियों के परामर्श से किए गए वास्तविक व्यय का विवरण अन्य बातों के साथ-साथ कारण या भिन्नता, यदि कोई हो, सिहत इस कार्यालय को अगले महीने की 10 तारीख तक प्रस्तुत करना होगा और चालू वित्त वर्ष 2025-26 के भीतर निधि का उपयोग सुनिश्चित करना होगा।
- 6. संस्वीकृति राशि का व्यय नहीं किये जाने को गंभीरता से लिया जायेगा।
- 7. संयुक्त निदेशक को इस कार्यालय को कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र, सीपीडब्ल्यूडी से निधि उपयोग प्रमाण पत्र के साथ वास्तविक-सह-वितीय विवरण प्रस्तुत करना होगा।
- 8. संयुक्त निदेशक से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित सीपीडब्ल्यूडी के लिए पीएफएमएस तैयार करें और संबंधित पीएओं के माध्यम से प्रधान लेखा अधिकारी (संकलन) उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली को अग्रेषित करें, तािक संकलन कार्यालय उस संबंध सीपीडब्ल्यूडी को प्राधिकरण पत्र तैयार करने में सक्षम हो सके।

9. इसे ई-ऑफिस फ़ाइल संख्या 4031248 के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(अर्जय बाजपेयी) संयुक्त निदेशक (डीएफओ/टीसी प्रभाग)

## प्रतिलिपि सूचनार्थ और आगामी आवश्यक कार्रवाई हेत्:

- 1. अपर महा निदेशक (वर्क्स),सीपीडब्ल्यूडी, कमरा नं. 301, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
- 2. मुख्य लेखा नियंत्रक (सीसीए), शहरी विकास मंत्रालय, कमरा संख्या 111, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
- 3. प्रधान लेखा अधिकारी (संकलन) उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली को संबंधित वेतन एवं लेखा अधिकारी, सीपीडब्ल्यूडी को प्राधिकरण पत्र जारी करने के अनुरोध के साथ तािक वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान धनरािश का उपयोग किया जा सके।
- 4. वेतन और लेखा कार्यालय (एमएसएमई), नई दिल्ली, चेन्नई, मुम्बई, कोलकाता।
- 5. संयुक्त निदेशक, बीएंडए प्रभाग को उपर्युक्तानुसार प्रथम किस्त आवंटित करने के अनुरोध के साथ।
- 6. सीनेट प्रभाग विकास आयुक्त (एमएसएमई) की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

7. संस्वीकृति फाईल

भारत सरकार Go. of प्रकार सहस्र सरकार Go. of प्रकार सरकार Go. of प्रकार सरकार सरकार Go. of प्रकार सरकार सरकार सरकार सरकार सरकार सहस्र सरकार सरकार सहस्र सरकार स्वार सरकार स्वार सरकार सरकार सरकार सरकार सरकार स्वार सरकार स्वार सरकार स्वार स्वार सरकार सरकार सरकार सरकार स्वार स्वार सरकार स्वार स्वार सरकार स्वार सरकार स्वार सरकार सरकार स्वार स्वार सरकार स्वार स्वार स्वा

(डीएफओ/टीसी प्रभाग)